

100



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1718]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2014/भाद्र 11, 1936

No. 1718]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2014/BHADRA 11, 1936

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2014

का. आ. 2201 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) दिनांक 29 जनवरी, 2014, में प्रकाशित भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की 28 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 284(अ), जिसे प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (1) यथा अपेक्षानुसार उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना दी थी और उक्त अधिसूचना की एक प्रतिलिपि उक्त पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष के निकट सहज दृश्य स्थान पर चिपका दी गई थी ;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतिलिपियां 29 जनवरी, 2014, को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई ऐसी घोषणा पर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ;


अतः केन्द्रीय सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इसके साथ संलग्न स्थल मानचित्र तथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील राजस्व धाना संख्या	स्थान	स्मारक/स्थान का नाम	संलग्न नक्सा के अनुसार संरक्षण के निमित्त संख्या खाता सं. प्लॉट सं.		क्षेत्रफल (एकड़ में)	स्वामित्व	सीमाएं तथा खसरा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
झारखण्ड	रांची	तमाड 210	हाराडीह	मंदिर, हाराडीह	68	600	4.48	झारखण्ड सरकार	उत्तर : प्लॉट संख्या: 615, 601, 554 दक्षिण : प्लॉट संख्या 570, 569, 568, 567, 565, 566 पूर्व : प्लॉट संख्या 599, 617. पश्चिम : प्लॉट संख्या 559, 560, 561

[फा. सं. 2/16/2008-स्मारक (भाग-1)]

राकेश तिवारी, महानिदेशक



MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2014

S.O. 2201(E). —Whereas, by the notification of the Central Government of India, in the Ministry of Culture (Archaeological Survey of India) number S.O. 284(E), dated the 28th January, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated 29th January, 2014, the Central Government gave two months' notice of its intention to declare the ancient monuments, specified in the Schedule annexed to the notification, to be of national importance and a copy of the said notification was affixed in a conspicuous place near the said ancient monuments, as required by sub-section (1) of Section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

Whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on 29th January, 2014;

Whereas, no objection has been received from the public to the making of such declaration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, the Central Government hereby declares the said ancient monuments, specified in the Site Plan and the Schedule annexed hereto, to be of national importance.

SCHEDULE

State	District	Tehsil/Taluq/ Revenue Thana number	Locality	Name of the monument or Site	Revenue Survey Number	Plot Number	Area in Acres	Ownership	Boundaries
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Jharkhand	Ranchi	Tamad 210	Haradih	Temples at Haradih	68	600	4.48	Government of Jharkhand	North : Plot Numbers 615, 601, 554. South : Plot Numbers. 570, 569, 568, 567, 565, 566. East : Plot Numbers. 599, 617. West : Plot Nos. 559, 560, 561.

[F. No. 2/16/2008-M (Part-I)]

RAKESH TEWARI, Director General

